

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 740]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2014/फाल्गुन 30, 193 5
No. 740]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2014/PHALGUNA 30, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.आ. 868(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तंभ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	राजमार्ग संख्या	
(1)	(2)	(3)
"257	702	नागालैंड राज्य में चंटोगिया के निकट रारा 2-के साथ अपने जंक्शन से
		प्रारंभ होकर लोंगलिंग, लांचिंग, मौन, लापा, टिजिट को जोड़ते हुए और
		असम राज्य में सोनारी को जोडते हुए सापेखती के निकट नए रारा सं 215.
		के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
258	ए 702	नागालैंड राज्य में मोकोकचुंग के निकट नए रारा 2-के साथ अपने जंक्शन
		से प्रारंभ होकर जुनेबोटो, फेक को जोड़ते हुए और मणिपुर राज्य में नए
		रारा सं. 29 के निकट जसाम पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

1292 GI/2014 (1)

259	208	त्रिपुरा राज्य में कुमारघाट के निकट रारा सं. 8 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कैलाशहर, खोवई को जोड़ते हुए और तेलियामुड़ा के निकट नए रारा सं. 8 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
260	ਦ 108	जोलाईबारी के निकट नए रारा सं. 8के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बैलोनिया को जोडते हुए इंडो/बंगलादेश बार्डर पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
261	सी 102	मिणपुर राज्य में पलेल के निकट नए रारा सं. 102 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और चंडेल में समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-15)]

माया प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 364 (अ) तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

S.O. 868(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a National Highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The Highways, now declared to be National Highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new National Highways numbers and the description of the National Highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

	TIDEE				
Serial	New National	Description of National Highways			
No.	Highway No.				
(1)	(2)	(3)			
"257	702	The highway starting from its junction with NH-2 near Chantongia connecting Longling,			
		Lonhching, Mon, Lapa, Tizit in the State of Nagaland, Sonari and terminating at its			
		junction with new NH No. 215 near Sapekhati in the State of Assam.			
258	702A	The highway starting from its junction with new NH No 2 near Mokokchung connecting			
		Zunheboto, Phek in the State of Nagaland and terminating at Jessam near new NH No. 29			
		in the State of Manipur.			
259	208	The highway starting from its junction with NH-8 near Kumarghat connecting			
		Kailashahar, Khowai and terminating at its junction with new NH-8 near Teliamura in the			
		State of Tripura.			
260	108A	The highway starting from its junction with new NH No. 8 near Jolaibari connecting			
		Belonia and terminating at Indo/Bangladesh border.			
261	102C	The highway starting from its junction with new NH No. 102 near Palel and terminating at			
		Chandel in the State of Manipur.			

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-15)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 364 (E), dated 10th February, 2014.